



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 568]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 13, 2011/आश्विन 21, 1933

No. 568]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 13, 2011/ASVINA 21, 1933

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2011

सा.का.नि. 758.—(अ) व्यापार चिन्ह नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप केन्द्रीय सरकार ने व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 157 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की उक्त उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर भारत के राजपत्र में उसके प्रकाशन के पैंतालीस दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा। इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

कोई आक्षेप या सुझाव, जो उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, संयुक्त सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम व्यापार चिन्ह (संशोधन) नियम, 2011 है।

3806 GI/2011

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. व्यापार चिन्ह नियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“8. दस्तावेजों को छोड़ना, आदि—

(1) अधिनियम या इन नियमों के अधिनियम के अधीन व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री या रजिस्ट्रार या किसी व्यक्ति को कोई आवेदन, सूचना, विवरण, विरोध, नवीकरण, रिपोर्ट, फीस, प्रारूप या अन्य दस्तावेज फाइल करने छोड़ने, तामील, संदत्त करने या देने के लिए सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित आनलाइन इलैक्ट्रॉनिक पारेषण के उपयोग द्वारा निविदत्त किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट दस्तावेज साफ और पूर्णतया स्पष्ट तथा नियम 13 के उपबंधों के अनुसरण में होंगे :

परन्तु कोई आवेदक या कोई विधिक अस्तित्व, जो व्यापार चिन्ह अभिकर्ता या अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन अधिवक्ता नहीं है, आनलाइन पारेषण का उपयोग करता है तो वह बिना इलैक्ट्रॉनिक प्राधिकार के आनलाइन पारेषण का उपयोग कर सकेगा यदि वह ऐसा करने की वांछा करता है। ऐसी दशा में आवेदन, सूचना या अन्य दस्तावेज सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित करके आनलाइन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर साधारण समुचित कार्यालय को भी कागज प्रारूप में प्रस्तुत किए जाएंगे।

(3) किसी आवेदक को संबोधित कोई लिखित संसूचना उसके पते पर रजिस्ट्रार, व्यापार चिन्ह या नियम 18 के अधीन दिए

गए उसके तामील के पते पर या अधिनियम या इन नियमों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में किसी आवेदक को आवेदन या विरोध की सूचना या तामील के लिए दिए गए पते पर या उसके विरोधकर्ता को इलैक्ट्रॉनिक प्ररूप में उपसंजात होगी, सम्यक् रूप से प्रेषित समझी जाएगी।

(4) अधिनियम या इन नियमों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में आवेदक या विरोधकर्ता को संबोधित सूचनाएं और लिखित संसूचना या, यथास्थिति, आवेदक या विरोधकर्ता को पारेषित या अग्रेषित सभी दस्तावेज, सिवाय तब जबकि वे विशेष संवाहक द्वारा भेजी जाएं, रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट अथवा कुरियर सर्विस या सम्यक् रूप से या अधिप्रमाणित आनलाइन पारेषक द्वारा भेजी जाएंगी।

(5) अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी कार्यवाही में किसी आवेदक या विरोधकर्ता को संबोधित तारीख की कोई सूचना या कोई लिखित संसूचना उक्त सूचना या लिखित संसूचना को यथास्थिति रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कुरियर या फैक्स या सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित आनलाइन पारेषण, अधिनियम या इन नियमों के अधीन जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, डिस्पैच की तारीख होगी।

(6) अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी कार्यवाही के किसी पक्षकार को व्यापार चिह्न रजिस्ट्री द्वारा प्रेषित दस्तावेज या संसूचना की प्राप्ति में विलंब की दशा में, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री को किसी दस्तावेज के पारेषण में विलंब या पुनः प्रस्तुत करने या पक्षकार द्वारा कोई कार्य करने में विलंब को रजिस्ट्रार माफ कर सकेगा यदि रजिस्ट्रार को पक्षकार द्वारा ऐसी विलंब की माफी के लिए दस्तावेज या संसूचना की प्राप्ति के तत्काल पश्चात् इस कथन के समर्थन में तथ्यों की परिस्थितियों की बाबत कथन और साक्ष्य के साथ प्रस्तुत की जाती है:

परंतु रजिस्ट्रार द्वारा ऐसे विलंब की माफी की अवधि पक्षकार द्वारा साधारण डाक या आनलाइन इलैक्ट्रॉनिक पारेषक द्वारा दस्तावेज या संसूचना प्राप्त होने की अपेक्षित तारीख तथा उसकी प्राप्ति की वास्तविक तारीख के बीच की अवधि से अधिक नहीं होगी”।

3. मूल नियम के नियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“13. दस्तावेज फाइल करना और रूप विधान आदि,

(1) व्यापार चिह्न रजिस्ट्री को भेजे जाने वाले या अन्यथा रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज जिसके अंतर्गत किसी दस्तावेज की प्रतियां भी हैं सिवाय शपथ-पत्रों के इसमें दिए गए रूप विधानों में आनलाइन इलैक्ट्रॉनिक पारेषण सुविधा द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे; और

(क) हिन्दी या अंग्रेजी में बड़े और स्पष्ट अक्षरों में जिनकी ऊंचाई 0.30 से.मी. से कम नहीं होगी अमिट गहरी स्याही के साथ जिसकी पंक्तियां व्यापक रूप से फैली हुई जिनके बीच का स्थान $1\frac{1}{2}$ से.मी. से कम नहीं होगा, टाइप की हुई या मुद्रित होंगे;

(ख) ए/4 लगभग 33 से.मी. लंबाई और 21 सें.मी. आकार के कागज पर जिसमें ऊपर और बाईं ओर कम से कम 4 सें.मी. तथा नीचे की ओर दाहिनी ओर 3 सें.मी. का हाशिया होगा;

(ग) पृष्ठ के नीचे केन्द्र में क्रमागत अंग्रेजी संख्यांक अंकित होंगे; और

(घ) विवरण के प्रत्येक पृष्ठ की पांचवी लाइन संख्यांकित होगी और बाईं हाशिये पर दाहिनी आधे पर दावे का प्रत्येक पृष्ठ होगा।

(2) प्रत्येक हस्ताक्षर जो पठनीय नहीं है या जो अंग्रेजी या हिंदी से भिन्न है या तो हिंदी में या अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में नाम का लिप्यांतरण साथ होगा।

(3) परीक्षा रिपोर्ट और रजिस्ट्रार द्वारा जारी या भेजे गए अन्य दस्तावेज का आवेदक या अधिकर्ता द्वारा उत्तर या जवाब व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की आनलाइन प्रणाली के उपयोग करके इलैक्ट्रॉनिक रूप में फाइल किया जाएगा :

परंतु जहां कोई आवेदक या विधिक अस्तित्व जो व्यापार चिह्न अधिकर्ता या अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन अधिवक्ता नहीं है, आनलाइन इलैक्ट्रॉनिक पारेषण का उपयोग करता है, तो वह ऐसा कर सकेगा यदि वह इलैक्ट्रॉनिक अधिप्रमाणन के बिना ऐसा करने की वांछा रखता है। ऐसे मामलों में फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित उपांतरित दस्तावेज सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित होंगे और कागज प्ररूप में आनलाइन प्रस्तुत करने से पंद्रह दिनों के भीतर समुचित कार्यालय को भी प्रस्तुत करने होंगे।

(4) जहां आवेदन या अन्य दस्तावेज आनलाइन प्रणाली का प्रयोग करके फाइल किए जाते हैं आवेदन या दस्तावेजों की अतिरिक्त प्रतियां समुचित कार्यालय में फाइल नहीं की जाएंगी जब तक रजिस्ट्रार द्वारा अन्यथा ऐसा आदेश न दिया जाए:

परंतु जहां कोई आवेदक या विधिक अस्तित्व जो व्यापार चिह्न अधिकर्ता या अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन अधिवक्ता नहीं है, बिना इलैक्ट्रॉनिक प्राधिकार के आनलाइन प्रणाली का उपयोग करना चाहता है वह या उसे सभी सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित सभी दस्तावेजों की दो प्रतियां समुचित कार्यालय में कागज प्ररूप में देनी होंगी।

(5) आवेदक और अन्य व्यक्तियों के पूरे नाम और पतों के साथ राष्ट्रीयता और ऐसे अन्य पते, यदि कोई हों, जो उसकी पहचान के लिए आवश्यक हैं, देने होंगे।

4. नियम 11 के उप-नियम (3) और उप-नियम (4) का लोप किया जाएगा।

5. नियम 12 के उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा,

“1 (क) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप इलैक्ट्रॉनिक प्ररूप में फाइल, बनाए, भेजे या प्रस्तुत किए जाने हैं।”

6. मूल नियम की प्रथम अनुसूची में प्रविष्टि संख्यांक 87 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
टिप्पण.—“व्यापार चिह्न रजिस्ट्री या रजिस्ट्रार द्वारा सभी विहित प्ररूप, आवेदन, अनुरोध, सूचनाएं और अन्य अर्जिया, जब तक कि इन नियमों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हों, आनलाइन पारेषण प्रणाली द्वारा फाइल या प्राप्त किए जाएंगे”।

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 114(अ), तारीख 26 फरवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 428(अ) तारीख 20 मई, 2010 और सा.का.नि. 1024 (अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2010 द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)
NOTIFICATION

New Delhi the 13th October, 2011

G.S.R. 758(E).—The following draft of certain rules further to amend the Trade Marks Rules, 2002, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-Section (2) of Section 157 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999), is hereby published, as required by the said sub-section (1) of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period so specified shall be considered by the Central Government;

The objections or suggestions may be forwarded to the Joint Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Trade Marks (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Trade Marks Rules, 2002 (hereinafter referred to as the Principal Rules), for rule 8, the following rule shall be substituted, namely :—

“ 8. Leaving of documents etc.—

(1) Any application, notice, statement, opposition, renewal, report, fee, form or other documents authorised or required to be filed, left, served, paid, made or given to the Trade Marks Registry or to the Registrar or to any persons under the Act or these rules, shall be tendered by using online electronic transmission duly authenticated.

(2) The documents referred to in sub-rule (1) are clear and fully legible and drawn in accordance with provisions of rule 13 :

Provided that an applicant or a legal entity who is not a trade mark agent or an advocate under the Advocates Act, 1961 uses online transmission, he or it may do so, if he or it so desires, without electronic authentication. In such cases the application, notice or other documents shall be duly signed and submitted in paper form also at the

appropriate office ordinarily within 15 days from the date of online submission.

(3) Any written communication addressed to an applicant at his address as it appears on the electronic Register of Trade Marks or to his address for service given under rule 18 or to an applicant or opponent in any proceedings under the Act or these rules, at the address appearing on the application or notice of opposition, or given for service, shall be deemed to be properly addressed.

(4) All notices and written communication addressed to an applicant or the opponent in any proceedings under the Act or these rules and all documents transmitted or forwarded to the applicant or opponent, as the case may be, shall except when they are sent by special messenger, be sent by registered post or speed post or courier service or by online transmission duly authenticated.

(5) The date of a notice or a written communication addressed to an applicant or opponent in any proceedings under the Act or these rules shall be the date of dispatch of the said notice or written communication, by Registered Post or Speed Post or Courier or fax or online electronic transmission duly authenticated as the case may be unless otherwise specified under the Act or these rules.

(6) In case of delay in receipt of document or communication sent by the Trade Marks Registry to a party to any proceedings under the Act or rules, the delay in transmitting or resubmitting a document to the Trade Marks Registry or doing any act by the party may be condoned by the Registrar if a petition for condonation of such delay is made by the party to the Registrar immediately after receipt of the documents or communication along with the statement regarding circumstances of the facts and evidence in support of this statement :

Provided that the delay condoned by the Registrar shall not exceed the period between the date on which the party was supposed to have received the document or communication by ordinary course of mail or online electronic transmission and the actual date of receipt of the same”.

3. For rule 13 of the Principal Rules, the following rule shall be substituted, namely :—

“13. Filing of document and formats, etc.—

(1) All documents including copies of any documents, except affidavits sent to the Trade Marks Registry or otherwise submitted to the Registrar shall be submitted by using online electronic transmission facilities in the format provided therewith and shall be—

(a) typewritten or printed in Hindi or in English in large and legible characters not less than 0.30 cm high with deep indelible ink with lines widely spaced not less than 1 ½ cm spaced;

(b) On A/4 size paper of approximately 33 cm by 21 centimeter with a margin of at least 4 centimeter

on the top and left hand part and 3 centimeter on the bottom and right hand part thereof;

- (c) numbered in consecutive English numerals in the centre of the bottom of the page; and
- (d) provided with numbering on every fifth line of each page of the description and each page of the claims at right half of the left margin.

(2) Any signature which is not legible or which is other than English or Hindi shall be accompanied by transliteration of the name either in Hindi or in English in block letters.

(3) The reply or response by the applicant or agent to the Examination Report and other documents issued or sent by the Registrar shall be filed electronically using online system of the Trade Marks Registry :

Provided where an applicant or a legal entity who is not a trade marks agent or an advocate under the Advocates Act, 1961 uses online electronic transmission, he or it may do so, if he or it so desires without electronic authentication. In such cases, the modified documents required to be filed shall be duly signed and submitted in paper form also at the appropriate office within 15 days from the date of online submission.

(4) Where the applications or other documents have been filed using online system, additional copies of application or documents shall not be filed at the appropriate office unless directed otherwise by the Registrar :

Provided that where an applicant or a legal entity who is not a trade marks agent or an advocate under the Advocates Act, 1961 prefers for using online system without electronic authentication he or it shall submit two copies of all documents duly signed in paper form at the appropriate office.

(5) The name and address of the applicant and other persons shall be given in full together with nationality and such other address, if any, as are necessary for their identification.

4. Sub-rules (3) and (4) of Rule 11 shall be omitted.

5. After sub-rule (1) of Rule 12, the following sub-section is to be inserted :

“(1A) The forms referred to in sub-rule (1) are to be filed, made, sent or submitted electronically”.

6. In the First Schedule to the Principal Rules after entry number 87 the following Note shall be inserted, namely :—

Note.—“All prescribed forms, applications, requests, notices and other petitions shall be filed or received by the Trade Marks Registry or the Registrar using online transmission system unless otherwise specified in the rules”.

[F. No. 8/66/2010-IPR-IV]

D.V. PRASAD, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification No. G.S.R. 114(E), dated, the 26th day of February, 2002 and subsequently were amended *vide* notification Nos. G.S.R. 428(E), dated the 20th May, 2010 and G.S.R. 1024(E), dated 29-12-2010.